जनपद गाजियाबाद -प्रेस नोट- दिनांक 23.07.22

थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे दिनाक 18.07.22 को पीनट्स प्राइस सुपर मार्केट नीतिखन्ड2 इन्दिरापुरम मे किराना स्टोर से चोरी किये गये रुपयो की घटना का थाना इंदिरापुरम पुलिस ने किया खुलासा,घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 85 हजार 830 रु व दो डीवीआर तथा 01 तमंचा बोर 315 मय कारतूस जिन्दा 315बोर बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे तथा क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब दिनांक 18.07.2022 को थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत मु**0**अ**0**सं**0** 888/**22** धारा **3**80/**411** भा0द0वि**0** की घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्तो को दिनाक 22.07.22 को समय 23.25 बजे हैप्पी पंजाब होटल शक्तिखन्ड 2 के पास से मौके से चोरी किये रुपयो मे से 85,830 रु व सीसीटीवी डीवीआर तथा एक अदद नाजायज तंमचा 315 बोर मय 1 कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है व अभियुक्त राजा के विरुद्ध मु0अ0स0 910/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1- राजा बाबू पुत्र सुखरमपाल सिंह रावत निवासी नंगला राना थाना अवागढ जिला एटा हाल पता किराये का मकान ग्राम कनावनी थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद उम्र वर्ष 21

2- राकेश पाण्डेय पुत्र सुग्रीव निवासी महेन्द्र नेता का मकान पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद 244 मूल पता गांव नारायणपुर थाना तारून जिला फैजाबाद उम्र 25 वर्ष

घटना का विवरण

पीनट्स प्राइस सुपर मार्केट 136 नीतिखन्ड 2 इन्दिरापुरम मे वादी श्री अंकित अग्रवाल का किराना स्टोर है . इस किराना स्टोर पर राजा बाबू पुत्र सुखरमपाल सिंह रावत निवासी नंगला राना थाना अवागढ जिला एटा हाल पता किराये का मकान ग्राम कनावनी थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद काम करता है . इसका साथी राकेश पान्डेय पुत्र सुग्रीव निवासी महेन्द्र नेता का मकान पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद मूल 244 पता गांव नारायणपुर थाना तारून जिला फैजाबाद उम्र 25 वर्ष एक वर्ष पूर्व इस स्टोर पर ही कैश काउंटर पर काम कर चुका है . अब राकेश पान्डेय दिलशाद गार्डन , दिल्ली मे आनलाइन परिक्षा सम्बन्धित सैंटर पर काम करता है .इनको पता था कि स्टोर के कैश काउंटर व बेसमेन्ट के ताले की चाबियाँ अन्दर रहती है और शाम को स्टोर के ताले कर्मचारी द्वारा ही बन्द किये जाते है . दिनाक 17.7.22 को राजा उपरोक्त द्वारा ताला बन्द करके बेसमेन्ट की चाबी खिडकी के पास ही रख दी थी और 17/18 की रात्रि मे राजा व राकेश उपरोक्त द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर गार्ड को सोता हुआ देखकर रात्रि मे 2.50 से 03.25 के बींच बेसमेन्ट की

खिडकी की जाली तोडकर हाथ डालकर चाबी से गेट खोलकर अन्दर आकर कैश काउंटर से रुपये चुराकर और सीसीटीवी की डीवीआर को लेकर फरार हो गये थे .

बरामदगी

घटना से सम्बन्धित 85830 रु

घटना से सम्बन्धित सीसीटीवी डीवीआर

01 अदद तमंचा मय 1 जिंदा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजा बाबू

1- मु0अ0स0 910/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद
2- मु0अ0स0 888/22 धारा 380 ,411 आईपीसी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त राकेश पान्डेय

1- मु0अ0स0 888/22 धारा 380,411 आईपीसी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम

1- प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुन्डीर
2- उ0नि0 रविन्द्र कुमार
3- है 0का0 1375 संजय
4- है 0का0 913 सुखवीर
5- है0का0 1347 अशोक
6- है0का0 1371 अमित कुमार

थाना कविनगर पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा करते हुए हत्या करने वाले दो अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

दिनांक 14.07.22 को थाना कविनगर क्षेत्रान्तर्गत नासिरपुर फाटक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव ट्राली मे पडा मिला जिसकी सूचना पर तत्काल कविनगर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव की शिनाख्त करायी तो शव की शिनाख्त पिन्टू यादव निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर के रुप मे हुए विधिक कार्यवाही करते हुए शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया पोस्टमार्टम मे पिन्टू यादव की हत्या गला घोटकर किया जाना पाया गया, जिसके बाद मृतक के भाई सोनू यादव की ओर से इस सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 916/22 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

इस सनसनी खेज हत्या के कारण आम जन मे भय व्याप्त था जिसके बाद श्री मुनिराज जी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद द्वारा उपरोक्त घटना के शीघ्र खुलासे हेतु श्री निपुण अग्रवाल पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के परिवेक्षण मे व श्री अवनीश कुमार क्षेत्राधिकारी कविनगर के निर्देशन मे व प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 916/22 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश मे आये अभियुक्त गण (1) प्रेम किशोर पुत्र प्रसादी लाल निवासी छोटा घुसराना हरि सिंह थाना डिबई जिला बुलंदशहर उम्र 35 वर्ष (2) श्याम भैया पुत्र धर्मपाल निवासी नया गांव नरायणपुर थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर उम्र 24 वर्ष को आज दिनांक 23.07.22 को समय करीब 10.30 बजे मुखबिर की सूचना पर बुलंदशहर रोड लाल कुँआ ओवर ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का उद्देश्य-

अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ पर बताया कि मृतक पिन्टू यादव दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अपने दबंगई से दोनो अभियुक्तो से उनकी कमाई के पैसो से जबरदस्ती शराब पीता था तथा अभियुक्तो से मारपीट करता था। जिस बात से परेशान होकर अभियुक्तो द्वारा दिनांक 13/14.07.2022 की रात्रि मृतक को शराब पिलाकर उसी के गमछे से उसका गला घोटकर हत्या कर दी गयी तथा मौके से फरार हो गये।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –</u>

(1) प्रेम किशोर पुत्र प्रसादी लाल निवासी छोटा घुसराना हरि सिंह थाना डिबई जिला बुलंदशहर उम्र 35 वर्ष

(2) श्याम भैया पुत्र धर्मपाल निवासी नया गांव नरायणपुर थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर उम्र 24 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण उपरोक्त-</u>

1- मु0अ0सं0 916/22 धारा 302 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
अभियुक्तो के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. SHO अमित कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. निरीक्षक गिरीश चन्द्र जोशी थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. उ0नि0 नरपाल सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।
4. उ0नि0 संजीव कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
5. है0का0 467 अरविन्द कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
6. का0 1381 मुकेश कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
7. का0 2131 तेजकुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
8.

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से 150 नशीली अल्प्राजोलम गोलिया नाजायज बरामद।

<u>कार्यवाहीः-</u> **<u>कार्यवाहीः-</u>** जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद थाना साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांकः 23/07/2022 समय 00.50 बजे नागद्वार तिराहे के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त सुन्दर साहनी पुत्र शंकर साहनी निवासी म0न0 669 गली न0 14 ब्लाक बी जीवन पार्क सिरसपुर थाना बादली दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष को मय 150 नशीली अल्प्राजोलम गोलिया नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया।

<u>अपराध कारित करने का तरीकाः-</u>

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ मे बताया साहब यह गोलिया मै राह चलते नशा करने वाले लोगो को बेचकर मुनाफा कमाता हू। अभियुक्त से अल्प्राजोलम गोलिया बेचने का लाइसेंस तलब किया तो नही दिखा सका है जिसके सबंध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 1146/22 धारा 8/22 NDPS ACT पंजीकृत किय गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

सुन्दर साहनी पुत्र शंकर साहनी निवासी म0न0 669 गली न0 14 ब्लाक बी जीवन पार्क सिरसपुर थाना बादली दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहास</u>

मु0अ0स0 1146/22 धारा 8/22 NDPS ACT बनाम सुन्दर साहनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 विनोद कुमार

है0का0 159 हैमराज सिंह

बरामदगी का विवरण

150 नशीली अल्प्राजोलम गोलिया नाजायज

(थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में ज्वैलर्स की दुकान में घुसकर लूट का प्रयास करने वाले गिरोह का पर्दाफाश)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध व अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.07.2022 थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत मु0अ0स0- 908/22 धारा 393 भादवि की घटना का अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1.अर्चित सेठी पुत्र अमित सेठी निवासी प्लाट नं0- 666 SF- 01 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद व 2. करन भारद्वाज पुत्र तरूण भारद्वाज निवासी प्लाट नं0- 670 ग्राउण्ड फ्लोर शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लूट का प्रयास की घटना का सफल अनावरण किया गया।

कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तो ने बताया कि हम दोनो ने मिलकर कुछ दिन पहले गीता ज्वैलर्स की दुकान की रैकी की थी तथा आज हम दोनों ने पूर्व नियोजित योजना के तहत गीता ज्वैलर्स सैक्टर- 16 वसुन्धरा की दुकान में टोय गन के बल पर दुकान में मौजूद लोगों को डराकर लूट कर ही रहे थे कि वहां पर मौजूद दुकान मालिक व अन्य कर्मचारी हमकों पकड़ने का प्रयास करने लगे तो हम दोनों वहां से डर कर भाग गये। हम जिस मोटर साइकिल से लूट करने आये थे वह करन भारद्वाज की है जिस पर हमने असली नम्बर प्लेट हटाकर बिना नम्बर की प्लैट पूर्व में ही लगा दी थी जो वहीं गीता ज्वैलर्स की दुकान के पास ही छूट गयी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अर्चित सेठी पुत्र अमित सेठी निवासी प्लाट नं0- 666 SF- 01 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

2. करन भारद्वाज पुत्र तरूण भारद्वाज निवासी प्लाट नं0- 670 ग्राउण्ड फ्लोर शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

अनावरण की गयी घटना का विवरण –

1. मु0अ0स0 - 908/22 धारा 393 भादवि थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त डिस्कवर मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट रंग ब्लैक एवं ब्लू
2. टोय गन- 02

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुण्डीर थाना इन्दिरापुरम गा0बाद।

2- उ0नि0 मुकेश कुमार चौहान थाना इन्दिरापुरम गा0बाद।

3- उ0नि0 दीपक कुमार थाना इन्दिरापुरम गा0बाद।
4- का0 प्रशान्त कुमार थाना इन्दिरापुरम गा0बाद।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया ।

!! श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज महोदय के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिहं के नेतृत्व मे एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री अभय कुमार मिश्र के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान थाना प्रभारी खोडा के कुशल नेतृत्व में अवैध शस्त्र रखने वालो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खोडा पुलिस की टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को एक अवैध चाकू के साथ दिनांक 22.07.2022 समय 23.10 बजे पर घटनास्थल ट्राँसफॉर्मर के पास इतवार पुस्ता खोड़ा कालोनी चौकी क्षेत्र खोडा गाँव से गिरफ्तार किया गया ।

गिर0 अभियुक्त का नाम पता

अभि0 आकाश उर्फ मन्नू पुत्र नन्हे लाल निवासी ब्लाक 18/212 इन्दिरा कैम्प कल्याण पुरी मदर डेयरी के पास खिचडीपुर थाना कल्याणपुरी दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः—एक अदद चाकू नाजायज

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त आकाश उर्फ मन्नू पुत्र नन्हे लाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	366/2022	4/25 ए एक्ट	खोडा	गाजियाबाद

गिरफ्तारी करने वाली टीम

प्र0नि0 श्री अल्ताफ अंसारी थाना खोडा

उ0नि0 सतीशचन्द थाना खोडा

का0 1151 सचिन थाना खोडा

का0 992 नितिन सिराना

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0स0 363/2022 धारा 380/411भादवि

!! श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज महोदय के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिहं के नेतृत्व मे एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री अभय कुमार मिश्र के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान थाना प्रभारी खोडा के कुशल नेतृत्व में चोरी करने वाले व्यक्तियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खोडा गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 363/2022 धारा 380 भादवि में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त को दिनांक 22.07.2022 को अभियुक्त को दीपक विहार से विशाल मेगामार्ट के पास ही समय करीब 20.30 बजे मय एक अदद चोरी के मोबाईल फोन रियल मी -2 के सहिथ गिरफ्तार किया गया।

गिर0 अभियुक्त का नाम पता

अभियुक्त फैज अली पुत्र हैदर निवासी सेक्टर 11 झण्डपुरा थाना सेक्टर 20 नोएडा उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः—एक अदद मोबाईल REAL ME-2 रंग लाल IMEI NO. 869029046481650 व 869029046481643

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त फैज अली पुत्र हैदर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	363/2022	380/411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद

गिरफ्तारी करने वाली टीम

प्र0नि0 श्री अल्ताफ अंसारी थाना खोडा

उ0नि0 राजीव कुमार थाना खोडा

है0का0 136 सन्नी बालियान थाना खोडा

का0 992 नितिन सिराना

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा जिला बदर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनीराज जी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थाना प्रभारी लोनी बार्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों

के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित व जिला बदर अपराधी के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 22.07.22 को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 19.45 बजे गली नं0-1,परमहंस विहार,चौकी क्षेत्र इन्द्रापुरी से एक जिला बदर अभियुक्त-सत्ते बंसल पुत्र जयकरन बंसल नि0-गली नं0-1 परमहंस विहार थाना लोनी बार्डर जनपद गा0बाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

सत्ते बंसल पुत्र जयकरन बंसल नि0-गली नं0-1 परमहंस विहार थाना लोनी बार्डर जनपद गा0बाद उम्र 42 वर्ष

अभियुक्त सत्ते बंसल का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 508/22 धारा 10यूपी गुण्डा अधि0 थाना लोनी बार्डर।
2.मु0अ0स0 500/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बार्डर।
3-मु0अ0सं0 449/2021 धारा 307/504 भादवि थाना लोनी बार्डर।
4-मु0अ0सं0 782/2021 धारा 323,506 भादवि थाना लोनी बार्डर।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1-उ0नि0 श्री सौरभ कुमार थाना लोनी बार्डर गा0बाद।
2-है0का0 246 जितेन्द्र मलिक थाना लोनी बार्डर गा0बाद।
3- का0 449 अजय कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

थाना लोनी पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त मय छोटा हाथी (TATA ACE GOLD)01 चोरी की मोटर साइकिल, व 02 चोरी की मोटर साइकिल के कटे हुए कलपुर्जे व 02 चाकू सहित गिरफ्तार

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साइकिलो को काटकर बेचने जाते समय 03 नफर शातिर अभियुक्त ***1.*** मो0 उमर पुत्र रहूप निवासी ग्राम बिलोचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ***उम्र 30 वर्ष 2.*** नईम पुत्र अफसर निवासी ग्राम बिलोचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ***उम्र 30 वर्ष 3.*** अरशद पुत्र मजीद निवासी ग्राम विलोचपुरा पुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ***उम्र 29 वर्ष*** *मय एक* **छोटा हाथी (TATA ACE GOLD GOODS CARRIER) रजि0नं0 *UP17BT1154 मे चोरी की 01 मोटर साईकिल व दो मोटर साईकिलो के कटे हुए कलपुर्जे*** *व 02 अदद नाजायज चाकू सहित दिनांक 23.07.2022 समय करीब 08.20 बजे* ***खन्नानगर गेट के पास*** *चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।*

नाम पता अभि0 व आपराधिक इतिहास –

1. मो0 उमर पुत्र रहूप निवासी ग्राम बिलोचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ***उम्र 30 वर्ष***
2. नईम पुत्र अफसर निवासी ग्राम बिलोचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ***उम्र 30 वर्ष***
3. अरशद पुत्र मजीद निवासी ग्राम विलोचपुरा पुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ***उम्र 29 वर्ष***
1.मु0अ0स0856/2022 धारा 411/414 भादवि थाना लोनी गा0बाद,बनाम उमर, नईम, व अरशद
2.मु0अ0स0 857/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद, बनाम उमर उपरोक्त
3. मु0अ0स0 858/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद, बनाम नईम उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.SHO अजय चौधरी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
2. उ0नि0 रामपाल सिंह चौकी प्रभारी खन्नानगर थाना लोनी गा0बाद
3. है0का0 594 राहुल कुमार थाना लोनी गा0बाद
4. है0का0 धनेश कुमार थाना लोनी गा0बाद
5. रि0का0 गोपेश बाबू थाना लोनी

बरामदगी का विवरणः-

*1. 01 मो0सा0 रजि0नं0 **DL3SAN4818** चैचिस नं0 **ME4J738EJ7009137** सम्ब0 मु0अ0सं0 **007747/2022** धारा 379 भादवि थाना **MV THEFT** दिल्ली*

2. दो मो0सा0 के कटे हुए कल पुर्जे बरामद होना

3. 02 अदद नाजायज चाकू (अभि0 उमर व नईम उपरोक्त से 01-01 बरामद)

*4. छोटा हाथी **(TATA ACE GOLD GOODS CARRIER)** रजि0नं0 **UP17BT1154** (सीज 207 एमवी एक्ट)*

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार करने वाले को किया गिरफ्तार। कब्जे से 120 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर वरामद।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनीराज जी0 के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थानाध्यक्ष थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना लोनी बार्डर की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.07.2022 को नीलम फैक्ट्री मोड़ से आर्यनगर को जाने वाले रोड से मुखबिर की सूचना पर समय 11.20 बजे एक अभियुक्त प्रेम लाल यादव पुत्र मुखलाल यादव निवासी तीन टावर के पास नाईपुरा थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 120 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज वरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. प्रेम लाल यादव पुत्र मुखलाल यादव निवासी तीन टावर के पास नाईपुरा थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

120 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 510/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

2- मु0अ0सं0 151/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

3- मु0अ0सं0 903/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 श्री सौरभ कुमार थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद।

2.है0का0 246 जितेन्द्र मलिक थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद।

3.का0 449 अजय कुमार थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद।